# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
## पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

**जीसीएमएस नं. 2024/471**
**मुकदमा नम्बर 161/2024** **दर्ज दिनांक– 07.10.2024**

विजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी तुर्काणी जोहडी, खिरोड हाल आबाद कुमावास ,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

**–आवेदक**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

**–अनावेदक**

वकील आवेदक : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट**

**:: आदेश ::** **निर्णय दिनांक 16.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खसरा नं. 188 रकबा 0.66 है0, खसरा नं. 192 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 193 रकबा 0.55 है0, खसरा नं. 194 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 195 रकबा 0.62 है0, खसरा नं. 198 रकबा 0.59 है0, खसरा नं. 199 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 200 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 211 रकबा 0.82 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 3.72 है0 में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र पुत्र रामेश्वर के स्थान पर विजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार उजर एतराज जाहिर नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खसरा नं. 188 रकबा 0.66 है0, खसरा नं. 192 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 193 रकबा 0.55 है0, खसरा नं. 194 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 195 रकबा 0.62 है0, खसरा नं. 198 रकबा 0.59 है0, खसरा नं. 199 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 200 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 211 रकबा 0.82 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 3.72 है0 में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र पुत्र रामेश्वर के स्थान पर विजेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वरलाल, दुरूस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( सुशील कुमार सैनी )RAS**
**उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़**
**जिला–झुझुंनू**